अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या – 444 /2013–14

श्रीमति सावित्री देवी बनाम श्री विरेन्द्र कुमार चौधरी एवं 01 अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	उभय पक्षों के दावे प्रतिदावे पर विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख का अनुशीलन किया। आवेदिका सावित्री देवी पति– महेशकान्त झा ग्राम– सिंहवाड़ा टोले लालपुर थाना + अंचल– सिंहवाड़ा जिला– दरभंगा ने प्रस्तुत वाद अपने खरीदगी भूमि मौजा– सिंहवाड़ा अन्तर्गत खाता नं0– 715, पुराना, खेसरा नं0– 4681 पुराना, रकवा 04 कट्ठा जिसके उतर विपक्षीगण, दक्षिण– सड़क, पूरब– ब्रहमस्थान एवं पश्चिम– सड़क, है वाली भूमि के सीमांकन के निमित प्रस्तुत वाद दाखिल किया है तथा उल्लेख किया है कि दिनांक 08.04.1986 को इन्होनें प्रश्नगत भूमि रामबुझावन पाण्डेय पिता– स्व0 लक्ष्मण पाण्डेय सिंहवाड़ा से बयनामा कराया है जिसका दाखिल खारिज वाद संख्या– 86/86–87 के तहत जमाबन्दी सं0– 116 इनके नाम कायम है एवं रसीद कटती चली आ रही है। वाद पत्र में वर्णित भूमि का उत्तरी भाग में सीमा नहीं होने के कारण उभय पक्षों के बीच विवाद है। विपक्षी विरेन्द्र कुमार चौधरी, पिता– स्व0 राम विलास चौधरी ग्राम– रामपुरा एवं कृष्णानन्द पाण्डेय पिता– स्व0 राम बहादुर पाण्डेय ग्राम– लालपुर ने अपने Rejoinder में आवेदिका के वाद को Limitation barred होना बताते हुए Maintainble नहीं होना बताया है तथा कहा है कि दिनांक 21.09.1992 के sale deed के आधार पर ये लोग दखल कब्जे में हैं तथा आवेदिका ने False claim किया है। इन विपक्षीयों ने आवेदक के वाद को without merit होना बताते हुए dismiss करने का अनुरोध किया है। विपक्षी ने यह भी उल्लेख किया है कि प्रस्तुत वाद में लगान निर्धारण वाद संख्या– 35, 36, 37, 38, 39 एवं 40 वर्ष 1960–61 जिसमें C.S. खेसरा नं0– 4681 मौजा– सिंहवाड़ा विभिन्न व्यक्तियों को भिन्न–भिन्न रकवा के साथ लगान निर्धारण किया गया का प्रस्तुत वाद में पक्षकार होना आवश्यक है। तथा यह भी उल्लेख किया है कि प्रस्तुत वाद में बिहार सरकार का पक्षकार होना आवश्यक है। पूर्व	

19/08/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	में भूमि विवाद वाद संख्या 16/13–14 रामदेव भगत द्वारा सीमांकन के लिए C.S. खेसरा नं0– 4681 जो 05 कट्ठा 04 धुर में से विवादित भूमि 02 कट्ठा 09 धुर भूमि के लिए दायर किया था जो वाद खारिज हो गया। विपक्षी सं0– 01 एवं 02 की ओर से दाखिल Rejoinder में किए गए दावे के समर्थन में विपक्षी के बिक्रेता मनि भगत को खाता नं0– 715, खेसरा नं0– 4681 रकवा– 04 कट्ठा 15 धुर भूमिं का लगान निर्धारण की गई है। लगान निर्धारण से प्राप्त भूमि को उनके पुत्र (1) श्री बलदेव भगत (2) जागेश्वर भगत दोनों पिता– स्व0 मनि भगत ने (1) श्रीमति विनोद देवी पति– श्री कृष्णानन्द पाण्डेय एवं (2) श्रीमति कामनी देवी पति– श्री विरेन्द्र कुमार चौधरी को दस्तावेज संख्या– 3898 से दिनांक 21.09.1992 को खाता– 715, खेसरा– 4681 पुराना, रकवा– 04 कट्ठा (जिसकी चौहद्दी उ0– नीज मनमोकीर वो रामदास, दक्षिण– राम खेलावन यादव वो राम सुन्दर प्रसाद यादव, पुरब– ब्रहमस्थान वो पोखरा, पश्चिम– पी0 डब्लु0 सड़क) भूमि को बयनामा कर दिया तथा केवाला के समय हीं प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादीगण का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। इनके (प्रतिवादी) अनुसार प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारिज प्रतिवादी के नाम से हो चुका है, जिसका जमाबन्दी संख्या– 2681 है तथा प्रतिवादी के नाम से लगान का भुगतान किया जा रहा है, जिसपर प्रतिवादी दखलकार रहते चले आ रहे हैं। विपक्षी ने यह भी उल्लेख किया है कि प्रस्तुत वाद में Complex Question of right, title interest and possession सन्निहित है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का है जिसका समाधान सिर्फ सक्ष्म व्यवहार न्यायालय से हीं संभव है का उल्लेख करते हुए आवेदिका के Demarcation संबंधी claim को इस वाद के scope से beyond होना बताया गया है तथा आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है। विपक्षी द्वारा दाखिल कागजातों के अनुशीलन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में सन्निहित भूमि पर पूर्व में Title suit no- 38/1990 मुंसिफ प्रथम, दरभंगा में दायर किया गया था, जिसमें पक्षकार (1) हलखोरी भगत पेसर– स्व0 वंशी भगत (2) रामदेव भगत पे0– हलखोरी भगत बनाम (1) मोसमात प्रमीला देवी पति– स्व0 राम खेलावन यादव (2) राम सुन्दर यादव पिता– लक्ष्मण यादव (3) संतोष	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	यादव पिता– राम सुन्दर यादव (4) सतीश यादव पिता– राम सुन्दर यादव (5) बबलू यादव पिता– स्व0 राम खेलावन यादव (6) गणेशीयादव पिता– स्व0 राम खेलावन यादव के बीच चली थी, जिस वाद में हलखोरी भगत द्वारा नियमित पैरवी नहीं दिये जाने के कारण माननीय मुंसिफ प्रथम, दरभंगा द्वारा दिनांक 07.09.1994 को खारिज कर दिया गया। उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत दावे प्रतिदावे का तुलनात्मक विश्लेषण किया एवं विद्वान अधिवक्ताओं के तार्किक बहस को सुना। अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादी द्वारा दाखिल कागजात एवं विपक्षी द्वारा दाखिल कागजात में C.S. खेसरा 4681 के रकवा में भिन्नता है, पूर्व में इसी खेसरा को लेकर वाद संख्या– 16/13–14 चल चुका है। जिसमें यह आदेश पारित किया था कि उक्त भूमि पर Title suit:- 38/1990 खारिज कर दिया गया, ऐसी स्थिति में पुनः वाद दायर कर सीमांकन कराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त के आलोक में आवेदक के वाद को अस्वीकृत किया जाता है। आवेदिका चाहें तो अपने दावे के उपचार हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। **लेखापित एव शुद्धित** 19/06/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा** 19/06/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	